सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00060

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 30/2019

1. नारायण पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी 59 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. राजू पुत्र अमूराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
3. फूलाराम पुत्र अमूराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर (मृतक)
   3.1 पप्पूराम पुत्र श्री फूलाराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
   3.2 श्रवण पुत्र श्री फूलाराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
   3.3 लीलाराम पुत्र श्री फूलाराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
   3.4 किशनाराम पुत्र श्री फूलाराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
   3.5 शिवलाल पुत्र श्री फूलाराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
   3.6 पार्वती पुत्री श्री फूलाराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
4. धूडी पुत्री अमूराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
5. मोहिनी पुत्री अमूराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।
6. चम्पा पुत्री अमूराम जाति मेघवाल निवासी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, हाल आबाद शम्बू का बुर्ज, कोलायत, बीकानेर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1. श्री गुरचरण सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री विजय रेवाड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

आदेश **दिनांक :–11.11.2020**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्तकाल जेर अपील दिनांक 29.05.2019 गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट दिनांक 14.04.2019 जो पटवारी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2019 के आधार पर जारी की गई है में यह स्पष्ट अंकित है कि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम गैरखातेदारी दर्ज है मगर उपरोक्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है, जैसाकि कार्यालय टिप्पणी में भी दर्ज है। इस प्रकार कार्यालय टिप्पणी जिस पर लिपिकीय हस्ताक्षर है में मौका पर अपीलांट का कब्जा होने पर कथन किया गया है तथा यह भी लिखा गया कि मौका पर कब्जा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 ना तो चक 59 एलएनपी में कभी रहें, ना ही भूमि को काश्त किया , ना ही काश्त सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड पेश किया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने गलत शपथ पत्र दिनांक 27.05.2019 को पेश किया गया। यहां यह भी निवेदन है कि सनद पत्रावली के फर्दे अहकाम दिनांक 24.05.2019 का अवलोकन किया जावें तो यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीयान से रिकॉर्ड ,काब्जा काश्त, न्यायिक वाद एवं अन्य विधि अनुसार प्रावधानों के अन्तर्गत शपथ–पत्र लिया जाकर पत्रावली दिनांक 27.05.2019 को पेश हो तथा दिनांक 27.05.2019 को जो शपथ–पत्र बाजूराम ने दिया, उसमें यह अंकित नहीं किया कि आराजी जेर बहस के किसी भाग पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का कोई कब्ज़ा है ना ही कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य, गिरदावरी मामला आबियाना की पर्ची , पटवारी की रिपोर्ट, दो पडौसियों के शपथ–पत्र व अन्य कोई रिकॉर्ड पेश किया, ना ही यह लिखा गया कि केवल 2/5 हिस्सा, न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कब्जा के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई जबकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट जो बार–बार पेश की है में कब्जा अपीलांट का होने का कथन किया है तथा दिनांक 21.06.2012 को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भी मौका पर कब्जा अपीलांट का होने का अंकित किया गया है। इस प्रकार पटवारी व तहसीलदार ने किसी रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का कब्जा होने का कथन नहीं किया, बल्कि अपीलांट का होने का कथन किया है। अतः कब्जा के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम सनद जारी नहीं की जा सकती थी ना ही इंतकाल किया जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो इंतकाल नियमों की पालन किया,ना ही कब्जा के सम्बन्ध में जांच करवायी जबकि लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार कब्जा काश्त की जांच करवाने पर इंतकाल किया जा सकता था, इंतकाल जेर अपील का अवलोकन किया जावें तो यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने दिनांक 29.05.2019 को ही इंतकाल दर्ज करने की रिपोर्ट की तथा उसी रोज ही इंतकाल तस्दीक कर दिया गया, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ना तो अपीलांट के नाम कोई नोटिस जारी किया गया, ना आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई तथा ना ही किसी दैनिक समाचार–पत्र में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवाई जबकि कानूनन उप तहसीलदार , बींझबायला को चाहिए था कि वह पहले आपत्ति सूचना जारी करते, प्रभावित को बुलाकर सुनते व पटवारी के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश देते, उसके उपरांत ही कानूनन इंतकाल किया जा सकता था, इस प्रकार स्पष्ट है कि इंतकाल जेर अपील ना केवल यकतरफा पारित किया गया है बल्कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई तथा मृतक व्यक्ति के हक में इंतकाल दर्ज किया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार ना तो मृतक के खिलाफ व ना ही उसके हक में कानूनन कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार था बल्कि उसको ना तो बुलाया , ना ही सुना गया जबकि माननीय राज0 उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित को बुलाए सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से निरस्तनीय होगा। बैसिक रजिस्टर में भी उपरोक्त पांच जीवों का नाम दर्ज है इसी कारण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय टिप्पणी में भी, उपरोक्त पांचों का नाम दर्ज है। यदि वास्तव में गोमी नाम की कोई लड़की भीखाराम की होती तो उसका नाम भी बैसिक रजिस्टर में दर्ज होता, इस प्रकार स्पष्ट है कि गोमी नाम की कोई भीखाराम की लकड़ी नहीं थी , ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 ने किसी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करवाया है कि गोमी नाम की कोई लडकी भीखा व रूपा की थी, केवल मिलीभगत कर कोई गलत प्रमाण–पत्र जारी करवाये गये है व उसके आधार पर कोई इंतकाल करवाये गये है तो वह शुरू से शून्य होने के कारण अपीलांट के अधिकारों पर बेअसर है, इस सम्बन्ध में अपीलांट फौजदारी कार्यवाही कर रहा है तथा राजस्व कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी राजस्व, पदमपुर में कर रखी है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 09.07.2012 को जारी किया गया। अतः दौराने मुकदमा आदेश जेर अपील पारित किया गया हैं कार्यालय टिप्पणी में असिस्टेंट सैटलमेंट कमिश्नर के निर्णय के अनुसार भी उपरोक्त पांचो ही सनद जारी करवाने के अधिकारी व परिवार कार्ड के आधार पर भी सनद जारी करवाने के अधिकारी माने गये क्योंकि भीखा व रूपा लाऔलाद फौत हुए। अतः समस्त भूमि का इंतकाल अपीलांट के नाम करना आवश्यक था। रेस्पोडेन्ट ने मिलीभगत कर गलत रिकॉर्ड बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि रकबा का अलाटमेंट अपीलांट के पिता , माता व अपीलांट को भी किया गया। इससे भी स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड गलत बनाया गया। प्रशासक ग्राम पंचायत 69 एलएनपी का प्रस्ताव संख्या 1 भी गलत पारित किया गया, जिसमें गोमी को भीखा की पुत्री होने का भी गलत अंकित किया गया है। यह प्रमाण–पत्र केवल मौतबिरान के पेश होने का कथन कर जारी किया गया है किसी आवश्यक रिकॉर्ड के आधार पर जारी नहीं किया गया। जिला भू–प्रबन्धक अधिकारी ने क्रमंक 989/16.11.99 में यह अंकित किया है कि सनद पांच जीवों के नाम जारी की जावें, इसको किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी गई तथा ना ही आज तक निरस्त करवाया गया। यह आदेश अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.1999 पर जारी किया गया। इस प्रकार यदि गोमी नाम की पुत्री भीखा की होती तो वह इस आदेश को भी चुनौती देती मगर कभी कोई चुनौती नहीं दी गई। अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.1993 में भी यह स्पष्ट है कि पांच जीवों के आधार पर रकबा अलाट हुआ, उसमें यह अंकित है कि फूला वगैरा की अपील अस्वीकार की गई तथा दिनांक 30.06.1973 का आदेश अपीलांट की अपील अस्वीकार करने का आदेश दिया गया। भू– प्रबन्धक विभाग से जो नोटिस जारी किये गये वह भी रूपा पत्नी भीखा के नाम ही जारी हुए जिसकी नकल शामिल है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट दिनांक 14.04.2019 जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2019 के आधार पर जारी की गई है में यह स्पष्ट अंकित है कि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम गैरखातेदारी दर्ज है मगर उपरोक्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 ना तो चक 59 एलएनपी में कभी रहें, ना ही भूमि को काश्त किया , ना ही काश्त सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड पेश किया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने गलत शपथ पत्र दिनांक 27.05.2019 को पेश किया गया। दिनांक 27.05.2019 को जो शपथ–पत्र बाजूराम ने दिया, उसमें यह अंकित नहीं किया कि आराजी जेर बहस के किसी भाग पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का कोई

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा है ना ही कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य, गिरदावरी मामला आबियाना की पर्ची , पटवारी की रिपोर्ट, दो पडौसियों के शपथ–पत्र व अन्य कोई रिकॉर्ड पेश किया, ना ही यह लिखा गया कि केवल 2/5 हिस्सा, न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। पटवारी व तहसीलदार ने किसी रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का कब्जा होने का कथन नहीं किया, बल्कि अपीलांट का होने का कथन किया है। अतः कब्जा के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के नाम सनद जारी नहीं की जा सकती थी ना ही इंतकाल किया जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो इंतकाल नियमों की पालन किया,ना ही कब्जा के सम्बन्ध में जांच करवायी जबकि लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार कब्जा काश्त की जांच करवाने पर इंतकाल किया जा सकता था, इंतकाल जेर अपील का अवलोकन किया जावें तो यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने दिनांक 29.05.2019 को ही इंतकाल दर्ज करने की रिपोर्ट की तथा उसी रोज ही इंतकाल तस्दीक कर दिया गया, ना तो अपीलांट के नाम कोई नोटिस जारी किया गया, ना आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई तथा ना ही किसी दैनिक समाचार–पत्र में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवाई जबकि कानूनन उप तहसीलदार ,बींझबायला को चाहिए था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इंतकाल जेर अपील ना केवल यकतरफा पारित किया गया है बल्कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना नहीं की गई तथा मृतक व्यक्ति के हक में इंतकाल दर्ज किया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार ना तो मृतक के खिलाफ व ना ही उसके हक में कानूनन कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार था बल्कि उसको ना तो बुलाया , ना ही सुना गया जबकि माननीय राज0 उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित को बुलाए सुने पारित किया गया आदेश हर प्रकार से निरस्तनीय होगा। गोमी नाम की कोई लड़की भीखाराम की होती तो उसका नाम भी बैसिक रजिस्टर में दर्ज होता, इस प्रकार स्पष्ट है कि गोमी नाम की कोई भीखाराम की लकड़ी नहीं थी , ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 ने किसी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करवाया है कि गोमी नाम की कोई लडकी भीखा व रूपा की थी, केवल मिलीभगत कर कोई गलत प्रमाण–पत्र जारी करवाये गये है व उसके आधार पर कोई इंतकाल करवाये गये है तो वह शुरू से शून्य होने के कारण अपीलांट के अधिकारों पर बेअसर है। प्रशासक ग्राम पंचायत 69 एलएनपी का प्रस्ताव संख्या 1 भी गलत पारित किया गया, जिसमें गोमी को भीखा की पुत्री होने का भी गलत अंकित किया गया है। यह प्रमाण–पत्र केवल मौतबिरान के पेश होने का कथन कर जारी किया गया है किसी आवश्यक रिकॉर्ड के आधार पर जारी नहीं किया गया। जिला भू–प्रबन्धक अधिकारी ने क्रमंक 989/16.11.99 में यह अंकित किया है कि सनद पांच जीवों के नाम जारी की जावें, इसको किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी गई तथा ना ही आज तक निरस्त करवाया गया। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित इन्तकाल संख्या 372 दिनांक 29.05.2019 जो स्वीकृत किया गया वह उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 28.05.2019 की पालनाा में स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 28.05.2019 की पुष्टि राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.10.2019 द्वारा की गई है। राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.2019 में अपीलार्थी की मांग को गैरजायज ठहराया गया जाकर अपील सारहीन होने से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खारिज की गई है। अपीलर्थी अपना कब्जा होना बताकर इन्तकाल जो स्वीकृत किया गया को गलत स्वीकृत होना बता रहा है जबकि गिरदावरी प्रमाण पत्र क्रमांक 217 दिनांक 28.10.2019 एवं पानी की पर्ची पेश की जा रही है जिससे प्रमाणित है कि कब्जा गैरनिगरानीकर्ता का है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर तहसीलदार पदमपुर द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 372 दिनांक 29.05.2019 बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा इन्तकाल संख्या 372 दिनांक 29.05.2019 जो स्वीकृत किया गया है वह उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है। '' **उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने अपने निर्णय में भूमि का कब्जा काश्त आवंटी के वारिसों को आवंटन के रोज से आज दिनांक तक लगतार रहा है एवं मूल आवंटी के वारिसान एवंम सदस्यों द्वारा इस भूमि का उपयोग व उपभोग लगातार किया जा रहा है। मूल आवंटी रूपा पत्नी भीखा सैटलमेन्ट ऑफिसर पुर्नवास एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर की घोषणा पत्र अनुसार दिनांक 01.05.1992 को गोमी को रूपा बेवा भीगा जाति मेघवाल निवासी 59 एलएनपी को वारिस घोषित किया जा चुका है।''** उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 28.05.2019 की पुष्टि राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.10.2019 द्वारा की गई है। राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.2019 में अपीलार्थी की मांग को गैरजायज ठहराया गया जाकर अपील सारहीन होने से खारिज की गई है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर